संख्या-114/2015-5252/नौ-5-14-34 बजट /2013

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2015

विषय: : वित्तीय वर्ष 2014-2015 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, अयोध्या नगर (नया घाट) पुर्नग्ठन पेयजल योजना के संबंध में पुनर्विनियाग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त करने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-228/नागर-2/033-0304/14 दिनांक 04.09.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अनतर्गत नगर पालिका परिषद, अयोध्या नगर (नया घाट) की पेयजल योजना के संबंध में रू0 74.96 लाख की लागत निर्धारित करते हुये उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में रू0 29.98 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-637/नौ-5-2013-34बजट/2013, दिनांक 29.03.2013 द्वारा निर्गत की गई थी, उक्त परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित प्रस्ताव अनुमानित लागत 170.72 लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.12.2014 में पुनरीक्षित **लागत रू0 160.83 लाख ( रू0 एक करोड़ साठ लाख तीरासी हजार मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत के साथ द्वितीय किश्त रूप में रू0 65.00 लाख (रू0 पैसठ लाख मात्र) को **संलग्न** बीएम प्रपत्र-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) संदर्भित शासनादेश दिनांक 29.03.2013 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

-----2/

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई- 01 - जलपूर्ति -193 -नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय -0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु -35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई 01 - जलपूर्ति -192 -नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय -0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु -35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-115/2015-5252/नौ-5-14-34 बजट/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशर:-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/फैजाबाद।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अयोध्या ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (फैजा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद।
9- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अयोध्या,फैजाबाद।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

# पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग (निर्माण कार्य) पूंजी लेखा वित्तीय वर्ष 2014-15

(धनराशि हजार रू. में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "2215-जल पूर्ति तथा सफाई 01- जलपूर्ति -193- नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यों हेतु-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | 350000 | 6500 | 6500 | 6500 | 343500 |
| योग | 350000 | 6500 | 6500 | 6500 | 343500 |

| निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| '2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान' | 350000 | 356500 | 6500 | 6500 | 356500 |
| योग | 350000 | 356500 | 6500 | 6500 | 356500 |

(1) नगर पंचायत हेड में सीवरेज कार्यों के परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:
नगर पालिका परिषदों के हेड में पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3)प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

( उमाशंकर सिंह )
सयुक्त सचिव,
नगर विकास विभाग।

आर0ई0संख्या-532-ई-8-894 /दस-2015,दिनांक 25 .03.2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

( सुभाष चन्द्र )
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या- 5252 (1)/नौ-5-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/ फैजाबाद।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता,(न.क्षे.), उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद।
7. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अयोध्या - फैजाबाद।
8. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

( उमाशंकर सिंह )
संयुक्त सचिव,
नगर विकास विभाग।

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष**:-2014-2015
**आवंटन दिनांक**-30/03/2015

**प्रेषण संख्या:-** 114-2015
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-114-2015-5252-9-5-14-34Budget-2013
**अनुदान संख्या:-** 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों के पेयजल कार्यों हेतु

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 6500000<br>673560500 | 6500000<br>673560500 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 6500000<br>673560500 | 6500000<br>673560500 |

**महायोग**- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैंसठ लाख
**महायोग**- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सरसठ करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)
**संयुक्त सचिव**